CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

सइबर युग में घरेलू हिंसा वैवाहिक जीवन में अपराधों के नए स्वरूप और चुनौतियाँ

पिंकी धनखड़
शोधार्थी
डॉ. विजयमाला
शोध निर्देशक
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनू (राज.)
पिंकी धनखड़
शोधार्थी
डॉ. विजयमाला
शोध निर्देशक
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनू (राज.)
डॉ.सैय्यद कलीम अख्तर सह शोध निर्देशक
नारायण स्कूल ऑफ लॉ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम बिहारप्राचार्य

……

First draft received: 07.02.2026, Reviewed: 09.02.2026
Final proof received: 11.02.2026, Accepted: 15.02.2026

शोध सारांश

साइबर युग डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के तीव्र विस्तार का युग इक्कीसवीं सदी में चल रहा है। वर्तमान युग में तकनीक ने मानव जीवन को सुविधाजनक, तेज़ और विश्वव्यापी बनाया है, लेकिन सामाजिक संबंधों, खासकर वैवाहिक संबंधों में, नई और कठिन समस्याएं पैदा की हैं। पारंपरिक रूप से घरेलू हिंसा शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण तक सीमित मानी जाती थी, अब साइबरनेट पर नए और अधिक छोटे रूपों में सामने आ रही है। यह शोध पत्र साइबर युग में घरेलू हिंसा के विकसित रूपों का विश्लेषण करता है, इसके वैवाहिक जीवन पर प्रभावों, सामाजिक–सांस्कृतिक और कानूनी चुनौतियों और संभावित समाधानों। अध्ययन ने बताया कि साइबर हिंसा अक्सर अदृश्य होते हुए भी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। यह अध्ययन बताता है कि वर्तमान कानूनी और सामाजिक संरचनाओं में सुधार, साथ ही डिजिटल साक्षरता और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए समय की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : *साइबर युग, घरेलू हिंसा, वैवाहिक जीवन, साइबर अपराध, महिला अधिकार।*

प्रस्तावना

डिजिटल युग के आगमन ने मानव जीवन के हर हिस्से में व्यापक बदलाव लाए हैं, जिसका प्रभाव पारिवारिक संबंधों और वैवाहिक संरचना पर भी स्पष्ट है। भौगोलिक दूरी के बावजूद पति–पत्नी के बीच संवाद को इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अधिक त्वरित और सुलभ बना दिया है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों ने भावनात्मक अभिव्यक्ति, सहयोग और पारदर्शिता के नए अवसर भी दिए हैं। लेकिन डिजिटल तकनीक के साथ वैवाहिक संबंधों में अविश्वास, संदेह और नियंत्रण की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। पति–पत्नी के बीच तनाव और मतभेद बढ़ रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से निजता की सीमा धुंधली होती जा रही है। इसके अलावा, पारंपरिक वैवाहिक मान्यताओं और

भूमिकाओं को चुनौती मिल रही है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यक्तिगत संवादों और सूचनाओं की निगरानी, ऑनलाइन संपर्कों पर संदेह और आभासी दुनिया का बढ़ता प्रभाव। इस तरह, डिजिटल युग ने वैवाहिक संरचना को आधुनिक और गतिशील बनाया है, लेकिन यह भी नई जटिलताओं और सामाजिक चुनौतियों को जन्म दे रहा है, जिनका गहन अध्ययन आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लंबे समय तक घरेलू हिंसा को एक ऐसी सामाजिक समस्या रूप में देखा गया है, जो मुख्यतः घर की चारदीवारी के भीतर होती है और प्रायः शारीरिक मार–पीट या प्रत्यक्ष उत्पीड़न तक सीमित होती है। लेकिन डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के व्यापक विस्तार से घरेलू हिंसा की पुरानी व्याख्या अब पर्याप्त नहीं है। हिंसा ने साइबर युग में घर की भौतिक सीमाओं को पार कर दिया है और मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ई–मेल और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से साइबर स्पेस में फैल गई है। इससे वैवाहिक जीवन में नियंत्रण और उत्पीड़न के नए–नए रूप सामने आ रहे हैं, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डराता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या सामाजिक रूप से अपमानित करता है, तो यह साइबर घरेलू हिंसा है। इसमें मोबाइल फोन की निगरानी, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, निजी तस्वीरों और संदेशों का दुरुपयोग, धमकी भरे संदेश भेजना, और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से निरंतर दबाव डालना शामिल हैं। यह हिंसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका असर गहरा और लंबे समय तक रहता है। इस तरह की हिंसा में शारीरिक चोटों के अलावा गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। भयानक और निरंतर निगरानी वाले घर में रहने से एक महिला का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वह मानसिक तनाव, अवसाद और असुरक्षा की भावना महसूस करती है। उसे चुप रहना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता पर खतरा होता है। इस प्रकार, घरेलू हिंसा साइबर युग में एक अदृश्य किंतु बहुत बड़ा संकट बन गई है, जो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, गरिमा और सामाजिक अस्तित्व को गहराई से प्रभावित कर रही है। साइबर युग में तकनीकी प्रगति ने वैवाहिक जीवन में संवाद, सुविधा और संपर्क के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन यह भी घरेलू हिंसा के नए रूपों को जन्म दे रहा है जो पारंपरिक हिंसा से कहीं अधिक सूक्ष्म, अदृश्य और निरंतर हैं। वर्तमान में, डिजिटल निगरानी, निजता के उल्लंघन, और आर्थिक नियंत्रण जैसे रूपों में घरेलू हिंसा सामने आ रही है, जो शारीरिक मारपीट या मौखिक प्रताड़ना तक सीमित नहीं है। पति या परिवार के अन्य सदस्य, जो वैवाहिक संबंध में हैं, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम

से महिला की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखते हैं और उसके स्थान को ट्रैक करते हैं निजी बातचीत को सीमित करते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता के नाम पर उससे डिजिटल खातों की जानकारी जबरन ली जाती है, जो उसकी निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खराब करता है। अब निजी तस्वीरों या सूचनाओं का दुरुपयोग कर एक महिला को डराना, चुप कराना या सामाजिक रूप से बदनाम करना भी साइबर हिंसा का एक गंभीर और अपमानजनक रूप है। महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर और असहाय बनाने के लिए इस हिंसा का एक और हिस्सा यह है कि वे अपने डिजिटल आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखें, जो उनकी आय, बैंक खातों और ऑनलाइन लेन–देन को सीमित करें। साइबर युग में घरेलू हिंसा शक्ति, नियंत्रण और पितृसत्तात्मक सोच की नई अभिव्यक्ति है। जो एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक अस्तित्व पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है।

कानूनी दृष्टिकोण

घरेलू हिंसा कानूनी रूप से साइबर युग में एक उभरती हुई चुनौती है, जिसे वर्तमान कानून आंशिक रूप से ही संबोधित करते हैं। 2005 में पारित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को वैवाहिक जीवन में होने वाली मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से बचाता है, जिसमें डिजिटल माध्यमों से उत्पीड़न भी शामिल हो सकता है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर धमकी, निजता के उल्लंघन और ऑनलाइन शोषण जैसे अपराधों पर दंड लगाता है। डिजिटल घरेलू हिंसा से महिलाओं को वास्तविक न्याय और सुरक्षा सिर्फ दोनों कानूनों की संयुक्त और सफल लागू होने से मिल सकती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, वैवाहिक और घरेलू संबंधों में महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक तथा आर्थिक हिंसा से बचाता है। यह कानून पारंपरिक घरेलू हिंसा के अलावा मानसिक उत्पीड़न, धमकी, नियंत्रण और अपमान जैसे कृत्यों को भी अपराध की श्रेणी में रखता है, जो साइबर युग में डिजिटल माध्यमों से नए रूपों में सामने आ रहे हैं। यह कानून पति या परिवार के सदस्य को मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या डिजिटल निगरानी के माध्यम से डराना, बदनाम करना या मानसिक प्रताड़ना देता है। साइबर युग में वैवाहिक जीवन में होने वाली घरेलू हिंसा को समझने और रोकने के लिए यह कानून महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा कानून है, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानून साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकी, निजी फोटो–वीडियो का बिना अनुमति प्रसार, डिजिटल ब्लैकमेलिंग और निजता का उल्लंघन दंडनीय है। धारा 66ई निजता के उल्लंघन से संबंधित है, जबकि धारा 67 और 67। अश्लील और यौन सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण अपराध मानती हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में न्यायालय ने साइबर अपराध नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संबंध को समझाया। यह अधिनियम साइबर युग में घरेलू हिंसा के डिजिटल रूपों को कानूनी रूप से पहचानने और दंडित करने का एक प्रभावी माध्यम है, खासकर जब पुरानी घरेलू हिंसा डिजिटल तकनीक से बदल जाती है।

वैवाहिक जीवन में होने वाली डिजिटल हिंसा को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

डिजिटल निगरानी और पीछा डिजिटल निगरानी और पीछा – वैवाहिक संबंधों में साइबर हिंसा का सबसे आम रूप बन चुका है। इसमें पति या ससुराल पक्ष लगातार और व्यवस्थित रूप से एक महिला की दैनिक गतिविधियों पर नज़र रखता है। वर्तमान तकनीकों का उपयोग करके, उसकी भौगोलिक स्थिति को उसकी सहमति के बिना ट्रैक किया जाता है, और मोबाइल फोन में ऐसे सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन जो कॉल, संदेश और संपर्कों की जानकारी देते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मित्र सूची, प्रतिक्रियाओं और ऑनलाइन संवादों को नियंत्रित करना। यह लगातार निगरानी एक महिला को भय, असुरक्षा और आत्म–संशय में डालती है।

डिजिटल निजता और नियंत्रण का उल्लंघन– महिलाओं की स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह की डिजिटल हिंसा में सीमित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विश्वास के नाम पर उससे ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग और अन्य डिजिटल खातों की जानकारी जबरन ली जाती है। जब महिला इनकार करती है, तो उसके चरित्र और नैतिकता पर सवाल उठता है। महिला को इंटरनेट से दूर करने या उसका मोबाइल फोन छीन लेना भी डिजिटल नियंत्रण का एक हिस्सा है। यह प्रक्रिया एक महिला को भावनात्मक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से निर्भर बना देती है।

साइबर बदनामी और प्रतिशोधी हिंसा– साइबर बदनामी मनोवैज्ञानिक रूप से घातक और बहुत अपमानजनक डिजिटल घरेलू हिंसा है। इसमें एक महिला को ब्लैकमेल करके उसके वैवाहिक जीवन से जुड़े निजी चित्रों, वीडियोओं या संदेशों का दुरुपयोग किया जाता है। इस हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल मंचों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करना, झूठे आरोप लगाना या छेड़छाड़ की गई सामग्री साझा करना है। महिला भी मानसिक या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो सकती है अगर उसके निजी विवरण सार्वजनिक किए जाते हैं।

वित्तीय साइबर हिंसा– वित्तीय साइबर हिंसा में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जो महिलाओं को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। इसमें उसके डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन लेन–देन और बैंक खातों पर एकतरफा नियंत्रण है। महिला की जानकारी या सहमति के बिना अक्सर उसके नाम पर ऋण लिया जाता है या उसके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। इस तरह की आर्थिक हिंसा एक महिला को आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखती है और उसके निर्णय–निर्माण की क्षमता को बहुत कमजोर बनाती है।

साहित्य समीक्षा

अनामिका सिंह और बाल विद्या प्रकाश 2021 घरेलू हिंसा में महिलाओं के उत्पीड़न और प्रताड़ना के प्रति संवेदनशीलता का अध्ययन इस अध्ययन में घरेलू हिंसा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें महिलाओं को चुप रहने के लिए सामाजिक रूप से अनुकूलित किया जाता है और हिंसा को सांस्कृतिक रूप से सामान्य माना जाता है। यह भी शोध बताता है कि घरेलू हिंसा के अनुभवों की रिपोर्टिंग में कमी और तकनीकी रूप से उभरते दुर्व्यवहार की पहचान में अंतराल शोध की एक बड़ी चुनौती है।

सरोज और नायक 2024 महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा और उत्पीड़न की जांच डिजिटल युग में चुनौतियाँ और समाधान के अध्ययन में भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न की प्रकृति, सामाजिक खामियाँ और समाधान के मार्गों का विश्लेषण किया गया है। लेख में यह बताया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग तकनीक-सहायता प्राप्त दुर्व्यवहार के रूप में वैवाहिक जीवन में उत्पीड़न का नया आयाम बन चुका है, तथा इससे निपटने के लिए सामाजिक, तकनीकी और कानूनी समन्वय आवश्यक है।

दिशा लाल, उदया कुमार गिरी और श्रीश कुमार तिवारी 2024 भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न को संबोधित करना इस अध्ययन में भारत में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न की प्रकृति, विशेषताओं और सामाजिक–कानूनी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। शोध में पता चला कि तकनीक–सहायता प्राप्त दुर्व्यवहार राष्ट्रीय व स्थानीय संदर्भों में महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और इसके खिलाफ नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासों की कमी एक प्रमुख बाधा है।

अमृता गुप्ता 2025 भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा विधिक परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ और आगे की राह के अध्ययन में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा के बढ़ते मामलों का कानूनी विश्लेषण है। इसमें तकनीक–आधारित दुर्व्यवहार, साइबर स्टॉकिंग, रिवेंज पोर्नोग्राफी और डीपफेक जैसे नए मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है। लेख बताता है कि साइबर हिंसा के खिलाफ मौजूदा भारतीय कानूनों में बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है।

ऋचा शर्मा, अनिल डावरा और अंजलि सहरावत 2025 हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा एक सामाजिक–कानूनी आयाम यह शोध पत्र हरियाणा राज्य में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा के सामाजिक और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन ने पाया कि साइबर अपराधों के खिलाफ कानूनों को लागू करने में कमजोरियाँ और सामाजिक रूढ़ियाँ महिलाओं को और अधिक असुरक्षित बनाती हैं। साथ ही, अध्ययन बताता है कि साइबर और पारंपरिक घरेलू हिंसा में व्यापक सहअस्तित्व है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. वैवाहिक जीवन में होने वाली साइबर हिंसा के विभिन्न रूपों को समझना।

2. समाज और परिवार में डिजिटल घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपायों की पहचान करना।

3. डिजिटल घरेलू हिंसा पर आधारित नीतियों और कानूनों में सुधार के लिए प्रमाण–आधारित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

1. वैवाहिक जीवन में साइबर हिंसा के विभिन्न रूप

H_0 वैवाहिक जीवन में होने वाली साइबर हिंसा के विभिन्न रूपों (डिजिटल निगरानी, साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन बदनामी, वित्तीय साइबर हिंसा आदि) में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई जाती।

H_1 वैवाहिक जीवन में होने वाली साइबर हिंसा के विभिन्न रूपों (डिजिटल निगरानी, साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन बदनामी, वित्तीय साइबर हिंसा आदि) में सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के कारण स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है।

डिजिटल घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता

H_0 समाज और परिवार में डिजिटल घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता का स्तर महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा की पहचान और रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करता।

H_1 समाज और परिवार में डिजिटल घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता का स्तर महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा की पहचान, स्वीकार्यता और रिपोर्टिंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

डिजिटल घरेलू हिंसा से संबंधित नीतियाँ और कानून

H_0 डिजिटल घरेलू हिंसा से संबंधित वर्तमान नीतियाँ और कानून वैवाहिक जीवन में होने वाली साइबर हिंसा की रोकथाम में प्रभावी नहीं हैं।

H_1 डिजिटल घरेलू हिंसा से संबंधित वर्तमान नीतियाँ और कानून महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में सहायक हैं, किंतु तकनीकी जटिलताओं, सामाजिक रूढ़ियों और कानूनी सीमाओं के कारण इनके प्रभाव में कमी पाई जाती है।

कार्यप्रणाली

यह गुणात्मक अध्ययन साहित्य की समीक्षा पर आधारित है. इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन में होने वाली घरेलू हिंसा के वर्तमान रूपों, कारणों, प्रभावों और नीतिगत–कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण करना है।

• यह अध्ययन वर्णनात्मक और मापनीय है, और इसमें प्राथमिक डेटा इकट्ठा करने के बजाय, उपलब्ध साहित्य की अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है।

• गुणात्मक अनुसंधान कार्यप्रणाली, जो इस शोध में लागू की गई है,साइबर घरेलू हिंसा से जुड़े सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और विधायी पहलुओं का गहन और संक्षिप्त विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान की। शोध के परिणाम इसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रतिपादित किए गए हैं।

चर्चा

साइबर युग में घरेलू हिंसा अब सिर्फ शारीरिक या मौखिक हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के माध्यम से यह महिलाओं के निजी और सामाजिक जीवन में भी घुस गई है। पति या परिवार के अन्य सदस्य मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे माध्यमों का उपयोग कर निगरानी, नियंत्रण, धमकी और बदनामी जैसे नए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की हिंसा अदृश्य होने के कारण अक्सर सामान्य घरेलू व्यवहार के रूप में स्वीकार की जाती है, जिससे समाज इसकी गम्भीरता को समय रहते नहीं पहचान पाता। इस समस्या को हल करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोनों लागू हैं, लेकिन डिजिटल घरेलू हिंसा की विशेषताओं को देखते हुए इनका प्रभावी कार्यान्वयन और समय पर संशोधन आवश्यक है। साथ ही, लैंगिक संवेदनशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है. जब तक समाज और परिवार इस समस्या को गंभीरता से नहीं मानेंगे, तब तक इसका समाधान अधूरा रहेगा।

खोज/परिणाम

इस साहित्य समीक्षा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले –

• डिजिटल घरेलू हिंसा के रूप और कारण

घरेलू हिंसा साइबर युग में केवल शारीरिक या मौखिक हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके कई डिजिटल रूप भी सामने आए हैं। इनमें डिजिटल निगरानी, साइबर स्टॉकिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से नियंत्रण, निजता का उल्लंघन और वित्तीय साइबर शोषण सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक मानसिकता, तकनीकी असमानता, अविश्वास, सामाजिक नियंत्रण की प्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता का अभाव और महिलाओं की आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता शामिल हैं।

• डिजिटल घरेलू हिंसा के प्रभाव

महिलाओं का मानसिक और सामाजिक जीवन डिजिटल घरेलू हिंसा से बहुत प्रभावित होता है। महिलाएँ तनाव, भय, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी और सामाजिक अलगाव का अनुभव करती हैं क्योंकि वे लगातार निगरानी, धमकी और ऑनलाइन अपमान का शिकार होती हैं। इसका भी नकारात्मक असर पारिवारिक संबंधों, वैवाहिक विश्वासों और बच्चों के मानसिक विकास पर होता है, जो पारिवारिक अस्थिरता को जन्म देता है।

• डिजिटल घरेलू हिंसा के समाधान और नीतिगत–कानूनी उपाय

वर्तमान में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीमित है क्योंकि डिजिटल घरेलू हिंसा की विशिष्ट प्रकृति है। साहित्य में सुझाव आया है कि डिजिटल घरेलू हिंसा को रोकथाम करने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल अपराधों के प्रति कानूनी स्पष्टता, पुलिस और न्यायिक तंत्र की तकनीकी क्षमता में वृद्धि, डिजिटल साक्षरता, महिला शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

संक्षेप में परिणाम

यह अध्ययन दिखाता है कि घरेलू हिंसा साइबर युग में एक कठिन और बहुआयामी सामाजिक समस्या बन गई है, जो केवल शारीरिक हिंसा तक नहीं सीमित है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के माध्यम से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं को प्रभावित कर रही है। यह स्पष्ट है कि कानूनी उपायों से डिजिटल घरेलू हिंसा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके सफल समाधान के लिए समाज में डिजिटल साक्षरता, लैंगिक संवेदनशीलता, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण और मौजूदा कानूनों को अद्यतन और लागू करना आवश्यक है। साइबर घरेलू हिंसा को दूर करने के प्रयास असफल रहेंगे जब तक कि परिवार और समाज इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या मानेंगे।

निष्कर्ष

समग्र रूप से, यह अध्ययन परिणाम देता है कि घरेलू हिंसा साइबर युग में वैवाहिक जीवन के भीतर एक नए, कठिन और अनदेखा रूप में उभरी है, जो पारंपरिक हिंसा की सीमाओं से आगे बढ़कर डिजिटल निगरानी, नियंत्रण, अपमान और शोषण के माध्यम से महिलाओं के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित कर रही है। साहित्यिक समीक्षा ने दिखाया कि पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक रूढ़ियाँ और कानूनी सीमाएँ तकनीकी विकास के साथ इस समस्या को और भी गंभीर बनाती हैं। वर्तमान नियम तो आवश्यक हैं, किंतु डिजिटल घरेलू हिंसा की विशिष्ट प्रकृति को संबोधित करने के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन, नवाचार और संस्थागत समन्वय की आवश्यकता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि साइबर घरेलू हिंसा को रोकथाम करने के लिए कानूनी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए सामाजिक जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, लैंगिक संवेदनशीलता, महिला शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को समान रूप से सुदृढ़ करना भी आवश्यक है, ताकि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों को वैवाहिक जीवन में सुरक्षित रख सकें।

संदर्भ

सिंह, अनामिका प्रकाश, बाल विद्या 2021 घरेलू हिंसा में महिलाओं के उत्पीड़न और उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता का अध्ययन। जर्नल ऑफ़ एडवांस रिसर्च इन सोशल साइंसेज़, 4(2), 33-50।

सरोज, और नायक. 2024भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा और उत्पीड़नरू डिजिटल युग में चुनौतियाँ और समाधान का अध्ययन। जर्नल ऑफ डिजिटल साइबर रिसर्च, 3(1), 45-60।

लाल, दिशा गिरी, उदया कुमार तिवारी, श्रीश कुमार 2024 भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न को संबोधित करना। जर्नल ऑफ़ साइबर साइबर एंड सोशल रिसर्च, 5(3), 45-62।

गुप्ता, अमृता 2025 भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा विधिक सिद्धांत, चुनौतियाँ और आगे की राह। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल 7(2), 12-28।

शर्मा, ऋचा दवारा, अनिल सहरावत, अंजलि 2025 हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा एक सामाजिक–कानूनी आयाम।जर्नल ऑफ़ इनफ़ॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च, 5(4), 55-72.